

7. इच्छुक बोली लगाने वाले अपने दस्तावेज वेब पोर्टल: <https://www.bankeauctions.com> (उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड <https://www.bankeauctions.com> पर नाम पंजीकृत करके निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है) के माध्यम से लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से जमा करेंगे। ईएमडी निम्नलिखित खाते में NEFT / RTGS के माध्यम से देय होगी: 57500000904261, खाते का नाम: DFSO ट्रांजिटरी खाता, लाभार्थी का नाम: HDFC बैंक लिमिटेड, IFSC कोड: HDFC0000240 या DFSO ट्रांजिटरी खाता - 57500000904261 के पक्ष में तैयार डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से नीलामी नोटिस में उल्लिखित समय और तारीख तक या उससे पहले। एनईएफटी/आरटीजीएस केवल इच्छुक बोलीदाताओं के खाते से किया जाएगा और इसका विवरण वेब पोर्टल में दिया जाएगा। लुधियाना में देय उपर्युक्त लाभार्थी द्वारा तैयार डीडी/पे ऑर्डर, किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में बोली में भागीदारी के पत्र के साथ, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, विशेष परिचालन विभाग, 5वीं मंजिल, बी 21 14570 जीटी रोड, बोलेवाल चौक, गुलजार मोटर्स के पास, लुधियाना-141008 पर नीलामी नोटिस में उल्लिखित समय और तारीखों को/या उससे पहले प्राधिकृत अधिकारी के पास पहुंच जाएगा।
8. वेब पोर्टल में बोलीदाता द्वारा पंजीकरण (एक बार) के बाद, इच्छुक बोलीदाता/खरीदार को बोली दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि और समय से पहले वेब पोर्टल में निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करवानी आवश्यक है। iii) पहचान प्रमाण/पता प्रमाण (केवाईसी) जैसे मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट/राशन कार्ड आदि की स्व-सत्यापित प्रति; जिसके बिना बोली अस्वीकृत की जा सकती है। अनुलग्नक-II और III की स्कैन की गई प्रति अपलोड करना (वेब पोर्टल: <https://www.bankeauctions.com> से डाउनलोड किया जा सकता है) विधिवत भरने और हस्ताक्षर करने के बाद भी आवश्यक है
9. इच्छुक बोलीदाता जिन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 301, गल्फ पेट्रो केम बिल्डिंग, उद्योग विहार, फेज 2, गुडगांव से संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 0124-4302020/21/22/23/24, श्री मिथलेश कुमार मोबाइल: 07080804466, हेल्पलाइन ई-मेल आईडी: support@bankeauctions.com और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान अधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
10. केवल वैध यूजर आईडी/पासवर्ड और एनईएफटी/आरटीजीएस के पुष्टि किए गए भुगतान वाले खरीदार ही ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे।
11. इच्छुक बोलीदाता को अपने बोली दस्तावेज [ईएमडी (आरक्षित मूल्य के 10% से कम नहीं) और आवश्यक दस्तावेज (बिंदु सं. 5 में उल्लिखित)] नीलामी नोटिस में उल्लिखित तारीखों और समय पर/से पहले जमा करने होंगे, पंजीकरण प्रक्रिया (एक बार) से गुजरने और अपना स्वयं का यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने के बाद, वे (दस्तावेजों के) उचित सत्यापन और/या संबंधित प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन के अधीन ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे।
12. ऑनलाइन परस्पर बोली के दौरान, बोलीदाता अपनी बोली राशि को 'बोली वृद्धि राशि' (ऊपर उल्लिखित) या इसके गुणक के अनुसार सुधार सकते हैं और यदि बोली ई-नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट के दौरान रखी जाती है, तो समापन समय स्वचालित रूप से 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा ई-नीलामी प्रक्रिया के समापन पर जो बोलीदाता उच्चतम बोली राशि (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) प्रस्तुत करेगा, उसे संबंधित प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता द्वारा आवश्यक सत्यापन के बाद सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा।
13. संबंधित प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए ई-नीलामी को स्थगित/स्थगित/रद्द करने का पूर्ण अधिकार है।
14. संभावित योग्य बोलीदाता ई-नीलामी की तिथि से पहले मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। न तो संबंधित प्राधिकृत अधिकारी/बैंक और न ही मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड किसी भी इंटरनेट नेटवर्क समस्या के लिए उत्तरदायी होगा और इच्छुक बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे ई-नीलामी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तकनीकी रूप से अच्छी तरह से सुसज्जित हैं।
15. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करने और ई-नीलामी में भाग लेने से पहले मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वेब पोर्टल <https://www.bankeauctions.com> और www.hdfcbank.com पर उपलब्ध ई-नीलामी के विस्तृत नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें।
16. ऑनलाइन बोली लगाने के दौरान कनेक्टिविटी से संबंधित कोई भी समस्या बोलीदाता की पूरी जिम्मेदारी होगी और इस संबंध में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं को अपना नाम <https://www.bankeauctions.com> पर पंजीकृत करना चाहिए और यूजर-आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना चाहिए। वे बोलीदाता जो इस नीलामी के लिए C1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पैन के उचित सत्यापन के बाद प्रदान किए गए वैध आईडी और पासवर्ड रखते हैं, उन्हें उपरोक्त पोर्टल पर ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति है।
17. बोलीदाताओं के अपने हित में अंतिम क्षण में बोली लगाने से बचना चाहिए क्योंकि न तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और न ही सेवा प्रदाता किसी भी चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता/बिजली विफलता आदि) के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसी आकस्मिक स्थितियों से बचने के लिए बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्थाएं/विकल्प जैसे कि बिजली आपूर्ति बैंक-अप आदि कर लें, ताकि वे ऐसी स्थिति से बच सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।
18. बैंक द्वारा बिक्री की पुष्टि होने पर और यदि भुगतान की शर्तों का अनुपालन किया गया है, तो बिक्री की शक्ति का प्रयोग करने वाला संबंधित प्राधिकृत अधिकारी सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के परिशिष्ट V में दिए गए प्रपत्र में क्रेता(ओं) के पक्ष में अचल संपत्ति के लिए बिक्री प्रमाण पत्र जारी करेगा। बिक्री प्रमाण पत्र केवल क्रेता(ओं)/आवेदक(ओं) के नाम पर जारी किया जाएगा और किसी अन्य नाम पर जारी नहीं किया जाएगा।
19. यदि बिक्री मूल्य 50,00,000/- (केवल पचास लाख रुपये) से अधिक है, तो नीलामी क्रेता/सफल बोलीदाता को संपत्ति के मालिक के नाम पर बिक्री मूल्य का 1% (या उस समय लागू दर) टीडीएस के रूप में काटना होगा और आयकर अधिनियम की धारा 194 IA के अनुसार इसे आयकर विभाग को भेजना होगा और शेष बिक्री मूल्य बैंक को भेजना होगा। बिक्री प्रमाण पत्र केवल फॉर्म 26QB और टीडीएस जमा करने के चालान की प्राप्ति पर जारी किया जाएगा।
20. क्रेता को लागू स्टाम्प शुल्क/अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क/हस्तांतरण शुल्क, फीस आदि तथा किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी द्वारा किसी भी प्रकार के विगत, वर्तमान या भविष्य के भार, सभी वैधानिक/गैर-वैधानिक बकाया राशि का वहन करना होगा, जिसमें बिक्री कर, नगर पालिका कर, संपत्ति कर, बिजली बकाया, जल बकाया, कर, दरें, मूल्यांकन शुल्क, फीस आदि शामिल हैं, जो किसी भी प्राधिकरण, निगम, विभाग या किसी अन्य व्यक्ति को देय हैं। बैंक बिक्री के लिए प्रस्तावित संपत्ति(यों) के संबंध में कोई अनुमति/लाइसेंस, एनओसी आदि प्राप्त करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।
21. बैंक उक्त संपत्ति के संबंध में बंधककर्ता(ओं) या उधारकर्ता(ओं) के कहने पर किसी भी मुकदमेबाजी के कारण होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
22. संभावित बोलीदाता/नीलामी क्रेता को नीलामी में संपत्ति के संबंध में सभी मुकदमों का संज्ञान लेना चाहिए, जिसमें प्रतिभूतिकरण आवेदन, यदि कोई हो, ऋण वसूली न्यायाधिकरण या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष दायर किया गया हो। उन्हें नीलामी में संपत्ति के संबंध में सभी मामलों की स्वतंत्र रूप से जांच करनी चाहिए और बोली प्रस्तुत करने से पहले इसका संज्ञान लेना चाहिए।
23. यदि न्यायालय/न्यायाधिकरण, वैधानिक प्राधिकरण, सरकारी एजेंसियों द्वारा पारित किसी आदेश/निर्देश के कारण नीलामी या बिक्री को रद्द करना पड़ता है और प्राधिकृत अधिकारी को बिक्री की आय या ईएमडी वापस करनी पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में कोई ब्याज या मुआवजा नहीं दिया जाएगा। यदि नीलामी क्रेता या सफल बोलीदाता द्वारा इस नीलामी/बिक्री के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी या बैंक के विरुद्ध किसी कानूनी मामले/कार्रवाई के कारण कोई नुकसान होता है, तो ऐसे मामले में वे प्राधिकृत अधिकारी या बैंक को हुए नुकसान की सीमा तक क्षतिपूर्ति करेंगे।
24. बैंक के पास बिक्री प्रमाण पत्र के निष्पादन से पहले किसी भी समय इस बिक्री को रद्द करने का विवेकाधिकार है और उस स्थिति में बैंक ब्याज के बिना बैंक को भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति करेगा।
25. इस बिक्री प्रमाणपत्र के संबंध में स्टाम्प शुल्क केवल क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा
26. बैंक द्वारा बिक्री प्रमाणपत्र जारी किए जाने पर, बिक्री पूरी हो जाएगी और बैंक द्वारा कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
27. इस नोटिस में कुछ भी बैंक की ओर से संपत्ति बेचने के लिए कोई प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व नहीं दर्शाता है या नहीं माना जाएगा। बैंक किसी भी कारण से या बिना कोई कारण बताए भी बिक्री को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इस तरह के रद्दीकरण पर बोलीदाताओं द्वारा सवाल नहीं उठाया जाएगा।